बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

सहायक अंकेक्षण अधिकारी (बिहार अंकेक्षण सेवा) मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा

विज्ञापन सं.– 05/2021, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी (बिहार अंकेक्षण सेवा) के कुल 138 (एक सौ अड़तीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20.08.2022 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

2. मुख्य परीक्षा हेतु विषय –

क्र.सं.	परीक्षा	विषय	अवधि	पूर्णांक
1.	मुख्य परीक्षा	**अनिवार्य विषय**		
		1. सामान्य हिन्दी	3:00 घंटा	**100 अंक**
		2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र	3:00 घंटा	**300 अंक**
		3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र	3:00 घंटा	**300 अंक**
		वैकल्पिक विषय (इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा)	3:00 घंटा	**300 अंक**
		1. वाणिज्य		
		2. अर्थशास्त्र		
		3. गणित		
		4. सांख्यिकी		

उपर्युक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है।

3. प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।
4. सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में, दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 2374, दिनांक– 16.07.2007 एवं पत्रांक– 6706, दिनांक– 01.10.2008 द्वारा निर्देशित है कि सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 अंक है, जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। शेष विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
6. **साक्षात्कार– मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार 120 अंको का होगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।**

   मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में मिले अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा।

नोट :– अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।

7. **आरक्षण :–**

(i) आवेदन में अपरिवर्तनशील तथ्य जैसे अभ्यर्थी का नाम, माता–पिता का नाम को छोड़कर कोई भी संशोधन Cutoff तिथि तक किया जा सकेगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेंवारी होगी की परीक्षा के पूर्व चरणों में दिये गये अपरिवर्तनशील तथ्य से भिन्न कोई तथ्य नहीं दिया जाय अन्यथा आवेदन स्वतः रद्द हो जायेगी। अन्य तथ्य जो परिवर्तनशील है, यदि अभ्यर्थी द्वारा उनमें कोई परिवर्तन किया जाता है जिससे परीक्षा के पूर्व चरणों में उसका परीक्षाफल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी। यदि उसका प्रभाव अभ्यर्थी के लिए लाभकारी होता है तो यह लाभ आगामी परीक्षाफल में ही देय होगा, पूर्व चरणों के परीक्षाफल में देय नहीं होगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डब्लू.पी.(सी.) संख्या–1052/2021, सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 21.02.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के ज्ञापांक–6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में Lohar (लोहार) जाति को विभागीय परिपत्र संख्या–10818, दिनांक 08.08.2018 (गजट अधिसूचना संख्या–699, दिनांक 23.08.2016) को निरस्त करते हुए बिहार राज्य के लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी अनुमान्य सुविधाओं के स्वतः रद्द हो जाने की स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूर्व की भाँति अनुमान्य होगी। तदालोक में बिहार राज्य के लोहार जाति के उम्मीदवार को उक्त कोटि के लाभ हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल (डोमिसाइल) निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	05
5.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ (Backward Class Ladies)	06
6.	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	07

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा के विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(viii) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में दिव्यांगता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा के आधार पर ही संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

8. शुल्क :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

नोटः– पूर्व में लोहार जाति का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के समान शुल्क अर्थात् 750/– (सात सौ पचास) रूपये जमा करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। **प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के समय भरे गये कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मान्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।**

9. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–</u>

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक– 18.10.2022
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक– 28.10.2022
3.	ऑनलाईन आवेदन (आरक्षण कोटि/वैकल्पिक विषय) में Edit करने की तिथि	दिनांक–24.10.2022 से 28.10.2022

(i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा सहायक अंकेक्षण अधिकारी (बिहार अंकेक्षण सेवा) (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन किये जाने के संबंध में कंडिका–7 (i) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-Mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(v) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(vi) मात्र भुगतान कर लेने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है। अभ्यर्थी शुल्क भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सुरक्षित रख लेंगे। **ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं होगा।**

10. महत्वपूर्ण निर्देशः–

(i) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अनुलग्नक की सूची में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे :–

(a) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)
(b) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र
(c) स्नातक अंक पत्र
(d) एम0बी0ए0 (वित्त), सी0ए0, आई0सी0डब्ल्यू0ए0 और सी0एस0 डिग्री संबंधित प्रमाण पत्र
(e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
(f) निवास प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए)
(g) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (केवल पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए)
(h) EWS प्रमाण पत्र
(i) दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(j) स्वतंत्रता सेनानी संबंधी प्रमाण पत्र
(k) भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र
(l) ID प्रूफ

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

11. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

12. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 29.06.2021 के पूर्व का उपलब्ध है।

13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

17.10.22

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना